न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/194 दायरा दिनांक : 12.10.2022

उनवान

1. रामप्रसाद उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री घांसीलाल, जाति लुहार, निवासी मुंडियर, तहसील– शाहबाद, जिला बारां (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री घासीलाल, जाति लुहार, निवासी मुंडियर, तहसील–शाहबाद, जिला– बारां (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

तबस्सुम उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री उस्मान गनी पत्नी श्री शमसुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी सातलखेड़ी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 10.03.2026

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद के प्रकरण संख्या – 63/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मुंडियर, पटवार क्षेत्र मुंडियर, तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नं. 22/1 रकबा 5.00 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर कानूनी भूल की है, उसने दावा व साक्ष्य का विधि पूर्ण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवेचन नहीं किया है। वादिनी/रेस्पो. अपने वाद पत्र की मद नंबर 02 में वर्णित चतुर्थ सीमाओं में उसके खातेदारी की 22/1 भूमि स्थित होना सिद्ध करने में असफल रही है। वादिनी रेस्पोडेंट ने अपने पिता के पटवारी होने के प्रभाव का इस्तेमाल कर बेनामी आवंटन करवा कर बिना कब्जे की भूमि क्रय कर अपने खातेदारी में दर्ज करवायी है। खसरा नंबर 22 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के पिता घासीलाल को मिसल नंबर–192 दिनांक 15.01.1968 को नियमन/आवंटन की गई है, जो न्यायालय में प्रदर्श डी–1 के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा खसरा नबर 22 के आवंटन का नामांतरण संख्या 228 ग्राम मुंडियर दिनांक 11.01.1983 को बिना किसी कारण के खारिज किया गया, जिसकी अपील घांसीलाल के वारिसान ने माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहाबाद के समक्ष पेशी की। अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार शाहाबाद को पुनः निर्णय करने हेतु प्रति प्रेषित किया है, जो वाद पत्र में प्रदर्श डी–02 है। सन् 1968 में खसरा नंबर 22 का कुल रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा था। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को आवंटन सन् 1968 में किया गया, जिसका नामांतरण संख्या– 228 सन् 1982 में खारिज किया गया। इस कारण नामांतरण की पुनः जाँच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहाबाद द्वारा प्रति प्रेषित करने के उपरांत आज तक तहसीलदार शाहाबाद ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, क्योंकि रेस्पोडेंट/वादिनी के पिता पटवारी के पद से रिटायर्ड कर्मचारी है, जो अपने प्रभाव से अपीलांट के पक्ष में निर्णय होने से रोक रहे हैं। एक वाद पटवारी उस्मान गनी ने अपनी पत्नी मेहरूनिशा की ओर से मेहरूनिशा बनाम रामप्रसाद वगैरह वाद संख्या 62/2014 निर्णय दिनांक 30.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद में पेश किया है, जिसमें खसरा नंबर 630/22 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खातेदारी की बतायी गयी है। रेस्पोडेंट/वादिनी तबस्सुम की खसरा नंबर 22/1 की 5 बीघा के खातेदारी की बतायी गयी है। खसरा नंबर 22 से खसरा नंबर 22/1 व 630/22 फर्जीवाड़ा कर तरमीम किए गए हैं। जब भूमि शिव जी नाई को 5 बीघा 3 बिस्वा बतायी गयी है तो खसरा नंबर 22 की 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि–कैसे खातेदारी में मेहरूनिशा व तब्स्सुम के दर्ज की गयी है, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। केवल मात्र वर्तमान जमाबंदी में खातेदारी होने के आधार पर निर्णय दिया गया है, जबकि खातेदारी ही संदेहप्रद है, जिसकी जाँच होना आवश्यक है। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के जवाबदावे में अपीलांट ने स्पष्ट लिखा है कि आराजी बेनामी आवंटन व बेनामी क्रय करके खाते दर्ज करवायी गयी है, जिसका रेस्पोडेंट ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अलावा तबस्सुम बनाम गोपाल वगैरह वाद संख्या 93/2014 निर्णय दिनांक 27.06.2019 उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद में भी खसरा नंबर 22/1 रकबा 5 बीघा

(दीप्ति [illegible] मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का वाद पेश किया है, जिसमें 10 बिस्वा से बेदखल करने बाबत् निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 22 के 1 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा न मान कर कानूनी भूल की है, जबकि प्रदर्श डी 2, डी 4 में स्पष्ट रूप से अपीलांट का कब्जा अंकित है तथा अपीलांट की आवंटनशुदा आराजी है।

रेस्पोडेंट/वादिनी ने अपने पिता के पटवारी होने के प्रभाव का किस प्रकार दुरुपयोग किया है, उसका उदाहरण नामांतरण संख्या 229 दिनांक 17.01.1982 से स्पष्ट होता है, जिसमें खसरा नंबर 22 की 5 बीघा 3 बिस्वा मौजा मुंडियर में हल्का पटवारी ने आवंटी शिवजी नाई को आवंटन दिनांक 30.06.1981 बताया है, परंतु अपनी रिपोर्ट में शिवजी को कब्जा देना अंकित नहीं किया है और न ही आई.एल. आर. ने अपनी रिपोर्ट में आवंटी का कब्जा होना बताया है। आई.एल.आर. व हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 18.01.1982 की है तथा तहसीलदार की तस्दीक 17.01. 1982 को करना बताया। इसी प्रकार खसरा नंबर 22 का रकबा कितना था, यह भी अंकन नहीं किया। इसके अतिरिक्त पटवारी ने आवंटन 5 बीघा 3 बिस्वा बताया है तो नामांतरण केवल 5 बीघा का क्यों खोला गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तहसीलदार शाहाबाद ने आई.एल.आर. व हल्का पटवारी की रिपोर्ट 18.01.1982 की होने पर तस्दीक एक दिन पूर्व 17.01.1982 को करना बताया है। तहसीलदार की कोई मोहर भी नामांतरण पर नहीं है। इसी प्रकार नामांतरण संख्या 345 दिनांक 01.05.1995 खातेदारी बाबत् खोला गया है, उसमें भी नामातंरण संख्या 229 की तारीख 30.06.1981 बतायी गयी है, जबकि नामांतरण संख्या 229 में तस्दीक की तारीख 17.01.1982 बतायी गयी है। नामांतरण संख्या 345 में हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी दिनांक 28.04.1995 को ओवर राइटिंग द्वारा 29.04.1995 किया गया है। हल्का पटवारी ने तहसील ने क्या आदेश दिया इसका हवाला नहीं दिया है और हल्का पटवारी व कानूगो ने अपनी रिपोर्ट में गैर खातेदार का कब्जा होने बाबत कोई अंकन नहीं किया है। तस्दीक किसने किया इसका भी हवाला नहीं है और न ही कोई मोहर है, जिससे फर्जीवाड़ा स्पष्ट होता है, जिसकी जाँच होना आवश्यक है। उक्त नामांतरण संख्या 229 व 345 की नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ आदेश 41 व नियम 27 के आवेदन के साथ संलग्न है। वादिनी/रेस्पोडेंट ने विवादग्रस्त भूमि पर कब कब्जा लिया यह भी प्रमाणित नहीं है, जबकि खसरा नंबर 22 की 5 बीघा भूमि पर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण का कब्जा प्रदर्श डी–01, डी–02, डी–03 से स्पष्ट रूप से साबित है। वादिनी ने अपने पिता के पटवारी होने के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर नंबर तरमीम करवा कर खसरा नंबर 22 का खसरा नंबर– 22/1 करवाया है, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। वादिनी/रेस्पोडेंट की खातेदारी पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कानून एवं न्याय के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर नम्र निवेदन हैं कि मुकदमा नंबर– 63/2014 का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2022 अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अपील मेमो में अंकित तथ्यों को अंतिम बहस माना जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट तबस्सुम द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मुण्डियर तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नं. 22/1 रकबा 5.00 बीघा स्थित है, जो वादनी के कब्जे व काश्त की है। जिसके पूर्व में सिवायचक सरकारी भूमि, पश्चिम में सिवायचक सरकारी भूमि, उत्तर में वादिनी की मां मेहरूनिशा की खातेशुदा भूमि खसरा नं. 630/22 तथा दक्षिण में खाली भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण ने गत वर्ष बिना किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर वादिनी की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर उक्त विवादित आराजी में से पश्चिमी करीब 2.10 बीघा भूमि पर ग्वार की फसल बो कर अवैधानिक कब्जा कर लिया। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादिनी स्वीकार कर वादिनी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 22/1 रकबा 5.00 बीघा में से 2.10 बीघा पश्चिमी से प्रतिवादीगण को बेदखल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया जावे और जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावेकि वे वादिनी के कब्जे काश्त आरजाी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न ही अन्य से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा नं. 22 खसरा नं. 23 के संपूर्ण रकबे पर प्रतिवादीगण व उनके परिवार का सन 1965 से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादिनी के पिता श्री उस्मान गनी तहसील शाहबाद में पटवारी की हैसियत से कार्यरत रहे है इसका अवैधानिक लाभ उठाते हुए खसर नं. 22 में अपने मिलने वालो के नाम सन् 1982 में आवंटन करवाकर आवंटन शुदा भूमि पर बिना कब्जा लिये ही खातेदारी दिलवाकर आंवटित आराजियात खसरा नं. 22 की अपनी पुत्री तबस्सुम व उसकी मां मेहरूनिशा के नाम विकय पत्र तस्दीक करवाकर अपने खातेदारी में बिना भौतिक कब्जा लिये खाते में दर्ज करवाली है जबकि खसरा नं 22 के संपूर्ण रकबे पर प्रतिवादीगण व उनके परिवार सन् 1965 से आज तक काबिज काश्त है। उक्त आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों के कब्जा के आधार पर हक परिपक्व हो जाने से प्रतिवादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी एवं नलिशी है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादिनी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद द्वारा निर्णय व डिकी दिनांक 30.06.2022 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादिया का वाद पत्र स्वीकार करते हुए वादिनी के खाते व कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 22 रकबा 5.00 बीघा के पश्चिमी हिस्से पर से प्रतिवादी कम 1 रामप्रसाद को बेदखल किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पांबद किये जाने का निर्णय पारित किया। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम मुण्डियर, तहसील शाहाबाद की खाता सं. 125, खसरा नं. 22/1 रकबा 5 बीघा आराजी तबस्सुम पत्नी शम्शुद्दीन मुसलमान के खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 2 नक्शा किश्तवार में खसरा नं. 22/1 की तरमीम अंकित है। प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी संवत 2069 से 2072 में खातेदार तबस्सुम पत्नी शम्शुद्दीन का नाम दर्ज है। प्रदर्श 4, डी 3, डी 4 के अवलोकन अनुसार वादिया रेस्पोडेंट के खाते की आराजी खसरा नं. 22/1 पर अपीलांट रामप्रसाद द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की पुष्टि होती है। अपीलांट का यह कथन है कि विवादित आराजी पर सन् 1965 से उनका कब्जा काश्त है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट ने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपने कब्जे को साबित करने हेतु कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर अपने कब्जे को वैध साबित करने हेतु कोई विधि मान्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। विधि मान्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी अपीलांट को विवादित आराजी खसरा नं. 22/1 जो वादिया रेस्पोडेंट के खातेदारी की आराजी है, पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. रामप्रसाद उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री घांसीलाल, जाति लुहार, निवासी मुंडियर, तहसील– शाहबाद, जिला बारां (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री घासीलाल, जाति लुहार, निवासी मुंडियर, तहसील–शाहबाद, जिला–बारां (राज.)

.... **अपीलांट**

बनाम

तबस्सुम उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री उस्मान गनी पत्नी श्री शमसुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी सातलखेड़ी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2022 / 194**
मु.द.नं0 **63 / 2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **30.06.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **11 माह 02** सन् **2026**

श्री **बृजराज सिंह चौहान** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **10 माह 03 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)